



Neutral Citation No-2026:AHC:4444

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**रिट - बी सं- 5009 वर्ष 2025**

**अजहर मियां और 4 अन्य ..... याचिकाकर्ता**

**बनाम**

**चकबंदी के उप निदेशक और 4 अन्य ..... प्रतिपक्षी**

**याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अख्तर अहमद सिद्दीकी**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: अरुण कुमार पांडे, : मुख्य स्थायी अधिवक्ता**

**न्यायालय सं- 54**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक**

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता, राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, जिसमें समेकन के उप निदेशक (संक्षिप्तता में 'डी.डी.सी.')
- द्वारा संशोधन संख्या-0156 वर्ष 2025 में पारित आदेश का उल्लंघन किया गया है, जिसमें समेकन के निपटान अधिकारी (संक्षिप्तता 'एस.ओ.सी.' में) द्वारा पारित दिनांक 24.04.2025 के आदेश की पुष्टि की गई है, जिसके तहत प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर बहाली आवेदन खारिज कर दिया गया था, और आदेश दिनांक 30.03.2011 को एस.ओ.सी. द्वारा अपील संख्या-339/10-11 में पारित किया गया था, जो मामला संख्या-244/230/08 में चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20.07.2010 के आदेश से उद्भूत हुआ था।
3. प्रस्तुत रिट याचिका उत्तर प्रदेश चकबंदी/जोत समेकन अधिनियम, 1953 (संक्षिप्तता में 'यू.पी.सी.एच. अधिनियम') की धारा 9-ए(2) के तहत कार्यवाही से उत्पन्न होती है, जो याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती की ओर से दायर की गई है, जिसमें प्लॉट संख्या-455/2 के विनिमय मूल्य में वृद्धि की मांग की गई है। चकबंदी अधिकारी ने दिनांक 20.07.2010 के आदेश के तहत आवेदन को खारिज कर दिया और विचाराधीन भूखंड के विनिमय मूल्य को बढ़ाने से इनकार कर दिया। व्यथित होने के कारण, एक अपील दायर की गई। एस.ओ.सी. ने

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



30.03.2011 के आदेश के तहत, कंसोलिडेटर द्वारा प्रस्तुत दिनांक 05.05.2010 की रिपोर्ट के आधार पर, प्लॉट संख्या-455/2 का विनिमय मूल्य निर्धारित किया, जो 0.520 हेक्टेयर क्षेत्र को 20 पैसे पर निर्धारित किया गया था। अत्यधिक देर से आने पर, याचिकाकर्ताओं ने 27.11.2024 को एक बहाली आवेदन दायर किया, जिसमें 30.03.2011 के आदेश को रद्द करने और प्लॉट संख्या-455/2, क्षेत्र 0.520 हेक्टेयर के विनिमय मूल्य को 20 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे करने की मांग की गई। एस.ओ.सी. ने दिनांक 24.04.2025 के आदेश के माध्यम से बहाली आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि 30.03.2011 का पहला आदेश गुण-दोष के आधार पर पारित किया गया था और गांव को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 52(1) के तहत पहले ही अधिसूचित किया जा चुका था। डी.डी.सी. ने याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर किए गए पुनरीक्षण पर दिनांक 28.08.2025 के आदेश के माध्यम से इसे खारिज कर दिया, जिसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जा रही है।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य प्रतिपक्षियों के लिए स्थायी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, और अभिलेखों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि प्लॉट संख्या-455/2, क्षेत्र 0.520 हेक्टेयर, का विनिमय मूल्य एस.ओ.सी. द्वारा 20 पैसे तय किया गया था, जो समेकन द्वारा प्रस्तुत दिनांक 05.05.2010 की रिपोर्ट के आधार पर था। एस.ओ.सी. के साथ-साथ डी.डी.सी. द्वारा स्पष्ट रूप से यह देखा गया है कि प्लॉट संख्या-455/2, 0.520 हेक्टेयर क्षेत्र के आसपास स्थित भूखंडों का विनिमय मूल्य 20 पैसे तय किया गया था; तदनुसार, प्लॉट संख्या-455/2 का विनिमय मूल्य भी तय किया गया है। एस.ओ.सी. के साथ-साथ डी.डी.सी. ने भी यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 52(1) के तहत गांव की अधिसूचना रद्द करने पर जोर दिया है। 30.03.2011 के आदेश के खिलाफ 27.11.2024 को देर से बहाली आवेदन दाखिल करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई प्रशंसनीय और वैध स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। बीच की अवधि में, गांव को यू.पी.सी.एच. अधिनियम की धारा 52 के तहत विमुक्त कर दिया गया था, और पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है, जिससे अंतिम चकबंदी अभिलेखों के आधार पर सभी चक धारकों को उनके संबंधित चाक पर बसाया गया है।

5. प्रस्तुत याचिकाकर्ताओं की सनक पर अंतिम समेकन अभिलेखों को परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है, जो लंबे समय तक चुप रहे। अन्यथा भी, प्लॉट संख्या-455/2, क्षेत्रफल 0.520



हेक्टेयर के विनिमय मूल्य को 20 पैसे से बढ़ाकर 50 पैसे करने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं है, जबकि आसपास के क्षेत्र का विनिमय मूल्य 20 पैसे तय किया गया था। डी.डी.सी. ने स्पष्ट रूप से पाया है कि प्लॉट संख्या-455/2 का विनिमय मूल्य मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर तय किया गया है।

6. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रस्तुत रिट याचिका पर विचार करने और एस.ओ.सी. के साथ-साथ डी.डी.सी. द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। चुनौती के तहत आदेश में कोई अवैधता, विकृति या दुर्बलता नहीं है। यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेखों पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि प्रस्तुत याचिकाकर्ता कैसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं, न ही चुनौती के तहत आदेशों के कारण उनके लिए न्याय का हानि/क्षति होने की कोई संभावना है।

7. परिणामस्वरूप, प्रस्तुत याचिका, गलत और योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के रूप में बिना किसी आदेश के **खारिज** की जाती है।

जनवरी 8, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)